

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :- सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र :- 118/2025

GCMS NO- 2025/240

उनवान - सरदार सिंह पुत्र बुजा राम जाति जाट निवासी सेफरागुवार तहसील तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी

अधिवक्ता प्रार्थी - श्री रामनरेशसिंह

आदेश

निर्णय दिनांक 04/11/25

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, राशन कार्ड आयकर विभाग का पैन कार्ड, प्रार्थना पत्र के समर्थन में साक्ष्य में नरेश पाल, सरदार सिंह, का शपथ पत्र पेश किया गया तथा तहसीलदार खेतड़ी के क्रमांक भू.अ./25/1435 दिनांक 11.06.2025 के द्वारा स्पष्ट अभिशंषा के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सेफरागुवार पटवार मण्डल सेफरागुवार की जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 के खाता सं. 307, 308, 44, में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार खेतड़ी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते ह। खाते की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। रहन यदि कोई हो तो रहन मुक्त होने पर ही आदेश का अमल दरामद हो।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	सेफरागुवार	खाता संख्या 307 के किता 3 कुल रकबा 1.52 है., खाता संख्या 308 के किता 2 कुल रकबा 0.52 है., खाता संख्या 44 किता 15 कुल रकबा 10.53 है.	सरदारा पुत्र बुजा राम	सरदार सिंह पुत्र बुजा राम



(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
दिनांक :- 04/11/25

क्रमांक :- राजस्व/2015/343

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार खेतड़ी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. सरदार सिंह पुत्र बुजा राम जाति जाट निवासी सेफरागुवार तहसील तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं को सूचनार्थ।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
पदेन सहायक कलक्टर
जिला झुंझुनूं